न्यायालय ... अधिकारी, बनू जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कैलाश चन्द्र गुर्जर

अपील संख्या ::– 5/2020

1– श्री लादुलाल पिता नारायण गुर्जर निवासी पारसोली तह0 बेगूँ
2– श्रीमति मांगीबाई पत्नी नारायण गुर्जर निवासी पारसोली तह0 बेगूँ
3– श्रीमति गीतादेवी पुत्री नारायण गुर्जर निवासी पारसोली तह0 बेगूँ
हा.मु. पत्नी किशन जी गुर्जर निवासी ठीकरीया कल्याणपुरा तह0 बेगूँ

अपीलान्ट

बनाम

1– श्री रतनलाल पिता भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी उमरथूना तह0 बेगूँ
2– श्री गौरूलाल पिता भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी उमरथूना तह0 बेगूँ
3– श्री बालकिशन पिता भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी उमरथूना तह0 बेगूँ
4– श्रीमति न्यालुबाई पुत्री भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी उमरथूना तह0 बेगूँ
5– श्रीमति टीना पुत्री भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी उमरथूना तह0 बेगूँ
6– श्रीमति हीरूबाई पत्नि भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी उमरथूना तह0 बेगूँ

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित ::– श्री विष्णु कुमार चतुर्वेदी
अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री के.सी.मंत्री
अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स

आदेश दिनांक ::– 22.12.2023

आदेश अपील विरूद्ध नामांतरण संख्या 342 दिनांक 2.10.2014 ग्राम उमरथुना ग्राम पंचायत माधोपुर तहसील बेगूँ

अपीलान्ट की ओर से अपील पत्र अधिवक्ता श्री विष्णु चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि नारायण पिता श्री उदा गुर्जर के नाम उमरथुना प.ह. माधोपुर तहसील बेगूँ में 3 राजस्व खाते थे। खातेदार श्री नारायण पिता उदा की मृत्यु हो जाने के बाद उनके वास्तविक उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तनरण खोलने के बजाय अजनबी रेस्पोडेन्ट्स के नाम नामान्तरण संख्या 342 को दिनांक 02.10.2014 को सरपंच ग्राम पंचायत माधोपुर तहसील बेगूँ द्वारा निर्णित किया गया जिससे असंतुष्ट होकर अपीलान्ट्स की अपील निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत माधोपुर में उक्त नामांतरण को विधि एवंत थ्यो के विपरीत निर्णित करने में भारी भूल की है।

2– यह कि अधनीस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत माधोपुर ने जो नामांतरण निर्णित किया है वह मृतक खातेदार श्री नारायण जी गुर्जर के वास्तविक उत्तराधिकारीयो की जानकारी किये बिना ही निर्णित कर दिया जो निरस्त किया जाने योग्य है।

3– यह कि तत्कालीन प.ह. माधोपुर ने जो नामांतरण भरकर प्रस्तुत किया वह जान बूझकर षडयंत्र रच बेईमानीपुर्ण आशय से रेस्पोडेंट्स से मिलकर मृतक खातेदार के वास्तविक उत्तराधिकारी अपीलांट्स के नाम न खोलकर रेस्पोडेंट्स केनाम खोल दिया। इस प्रकार नामांतरण वर्णित कृषि आराजीयात जिसमें रेस्पोडेंट्स का कोई संबंध नहीं है। उनके नाम नामांतरण खोलकर भारी भूल की है। इसलिये नामांतरण निरस्त किये जाने योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:32:18 IST
Reason: SelfAttested

4– यह कि उक्त नामांतरण में जो वंशवृक्ष दिया हैं । व... मृतक खातेदार के कोई भैरू या अन्य लोक उत्तराधिकारी नहीं है। यहाँ नही भैरू को ... इस नामांतरण में पटवारी ने कालम नं. 16 में मृतक बताया गया जबकि रेसपोडेंस का ... जीवित है। इस प्रकार नामांतरण स्वयं देखने मात्र से ही फर्जी प्रविष्टियो का होना ... है।

5– यह कि नामांतरण में वर्णित तीनो राजस्व खातो का वास्तविक खातेदार नारायण पिता श्री उदा गुर्जर था जिसकी दिनांक 19.12.1999 को मृत्यु हो गई थी, 1999 से लेकर सन 2014 तक कोई नामांतरण नहीं हुआ एवं 2014 में फर्जी प्रविष्टियों का नामांतरण तत्कालीन पटवारी ने रेस्पोडेन्ट्स से मिलकर खोल दिया। अपीलांटस ने दिनांक 08.07.2020 को पटवारी हल्का से नकल निकलवाई तो राजस्व रेकार्ड का ज्ञान होने से अपील अपीलांट्स न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत की जा रही है।

लगने से अंदर अवधि अपील प्रस्तुत है। कानुनन दिनांक 02.10.2014 से दिनांक 08.07.2020 तक का व्यतीत हुई अवधि को क्षमा किये जाने हेतु अलग से धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत है।

7— यह कि अपील श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त होने से अपील अपीलांटस श्रीमान के यहां प्रस्तुत है।

8— यह कि पअी अपीलांट्स निर्धारित न्यायालय शुल्क दो रूपये मन सम्मन प्रोसेस नकल के प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलांटस स्वीकार फरमाई जाकर उक्त नामान्तरण संख्या 342 दिनांक 2.10.2014 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

अपील पत्र मय शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र के साथ न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स की ओर से अधिवक्ता श्री के.सी.मंत्री द्वारा अपना अधिकार पत्र पत्रावली में प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 सही होकर स्वीकार है।

2— यह कि प्रार्थना की कलम सं0 2 सम्पूर्ण गलत होकर अस्वीकार है। ग्राम उमरथूना का मृतक खातेदार नारायण पिता उदा गर्जरसा0 उमरथूना से अपीलांटस का कोई सम्बन्ध नहीं है। अपीलांट अपने पिता एवं पति का समान नाम होने का नाजायज फायदा उठाना चाहते है एवं इसी कारण यह अपील नामान्तरण प्रस्तुत किया हैं। उमरथुना के मृतक खातेदार नारायण पिता उदा का देहावसान दिनांक 11.8.2014 को हुआ है, जबकि अपीलांट्स जिन नारायण पिता उदा के वारिस है वह ग्राम पारसोली का निवासी होकर उसकी मृत्यु वर्ष 1999 में हुई होना संभव है। दोनो नारायण पिता उदा पृथक पृथक व्यक्ति होकर ग्राम उमरथुना के नारायण पिता उदा गुजर से अपीलांट्स का कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार जब अपीलांट्स का उक्त वर्णित नामान्तरण से कोई सम्बन्ध ही नहीं है तो अपीलांट्स का प्रकियाओं से अनभिज्ञ होना एवं जानकारी नहीं होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं।

साथ ही नामान्तरण निर्णय की अपील अवधि 30 दिवस होती है उसके बाद अपीलांटस को हर दिन का ब्यौरा देना होता है, इस प्रकार अपील अपीलांट्स प्रथम दृष्टया ही मियाद बाहर होकर निरस्त योग्य है। अपीलांट्स न्यायालय श्रीमान में स्वच्छ हाथो से नहीं आये है जिससे किसी तरह की अवधि को क्षमा कराने के अधिकारी नहीं है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम सं0 3 में अंकित दिनांक काल्पनिक होकर अपील अपीलांट्स मियाद बाहर हो निरस्त योग्य है। अपीलांट्स द्वारा घोषणा हेतु पृथक से वाद इसी न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है जिससे भी अपीलांट्स चलने योग्य नहीं है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थनला है कि अपील अपीलांट्स सव्यय निरस्त फरमाई जावें।

पत्रावली में रेसपोडेंट्स के अधिवक्ता द्वारा अपना अधिकार पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारार 5 मियाद अधिनियम का हमारे द्वारा अवलोकन किया गया, प्रस्तुत अपील पत्र पर बहस हे तु दोनो ही अधिवक्तागण को न्यायालय में तलब किया गया, अपील पत्रावली में अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित हाए जबकि रेस्पोडेंट्स एवं उनके अधिवक्ता को न्यायालय में आवाज दिलाने पर भी वह उपस्थित नहीं आये हैं। इस प्रकार पत्रावली में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता वक्त बहस न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से हमारे द्वारा अपीलांट्स के अधिवक्ता श्री विष्णु कुमार चतुर्वेदी की एक तरफा बहस नामान्तरण संख्या 342 पर ध्यानपूर्वक सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस अपील पत्र के अनुसार ही करते हुए रेस्पोडेंट्स के पक्ष में खोले गये नामान्तनरण संख्या 342 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली में बहस अपीलांटस के अधिवक्ता की सुने जाने के उपरान्त हमारे द्वारा इस अपील पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन किया गया , पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा उमरथुना प0ह0 माधोपुर सं0 274 से 2077 तक का अवलोकन किया गया जिसमें पाया कि खाता संख्या 72 में दर्ज आराजी संख्या 83, 84, 88, 92, 93, 94, 95, 238/182, 239/182, 253/219 कुल किता—10 कुल रकबा 6.5100 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री रतनलाल गोरूलाल [illegible] न्यालूबाई टीना पिता भैरूलाल हीरूबाई पत्नि स्व. भैरूलाल 1/3, नन्दुबाई चा[illegible] पिता [illegible] गुर्जर सा.देह खातेदार दर्ज है। नक्शा ट्रेस आराजी एवं संलग्न नकल नामान्तरण संख्या 342 का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया , यह नामान्तरण संख्या 342 मृतक खातेदार नारायण पिता उदा गुर्जर की मृत्यु के उपरान्त उनकी विरासत से खोला गया है, नामान्तरण संख्या 342 पर जो सजरा मुतिब किया गया है उसमें नारायण के पुत्र भैरूलाल व पुत्री नन्दबाई एवं चांदूबाई एवं पत्नि मांगीबाइ को फोत अंकित करते हुए नामान्तरण रेस्पोडेन्ट्स के नाम पर खोला गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:32:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र धारा 5 के जवाब में रेस्पोडेन्टस का कथन है कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के पिता नारायण पिता उदा एक ही नाम होने से यह जो नामान्तरण खोला गया है वह सही खोला गया है, यह बात सही है कि अपीलांट्स द्वारा इसी न्यायालय में एक वाद पत्र बाबत घोषणा आराजी के लिए भी प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है, जिसमें साक्ष्य आदि ली जाकर निर्णय किया जाना अभी शेष है, नामान्तरण में दर्शाई गई भूमि के खातेदार नारायण पिता उदा गुर्जर जो मृतक है के सही सही वारिसान अपीलांट्स है

[redacted] रेस्पोडेन्ट्स है यह जॉच का विषय है। हमारी विनम्र राय में जो विरासत का नामान्तरण खोला गया है वह तत्कालीन पटवारी द्वारा खोला जाकर अधीनस्त न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत माधोपुर द्वारा निर्णित किया गया, जिसकी जॉच तहसीलदार बेगूँ की कराई जाकर मृतक खातेदार नारायण पिता उदा गुर्जर सा.उमरथुना के सही सही वारिसान के नाम पर विरासत का नामान्तरण खोला जाना हम न्यायसंगत समझते है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। नामान्तरण संख्या 342 निर्णित दिनांक 02.10.2014 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत माधोपुर को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बेगूँ को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मृतक खातेदार नारायण पिता उदा गुर्जर सा. उमरथुना के सही सही वारिसान की जॉच करते हुए विरासत का नामान्तरण खोलकर निर्णित किया जाना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति तहसीलदार, बेगूँ को वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

आदेश आज दिनांक 22.12.2023 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ
जिला चितौडगढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता/2023/500 दिनांक :– 22.12.23.

अपील संख्या 05/2020 व अनवान लादुलाल बनाम रतनलाल वगै. अपील विरूद्ध नामान्तरण सं. 342 निर्णित दिनांक 02.10.2014 ग्राम पं. माधोपुर की पत्रावली में हुए आदेश दिनांक ..... वास्ते निर्देशानुसार पालनार्थ आपको भिजवाई जा रही है।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ
जिला चितौडगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:32:18 IST
Reason: SelfAttested